मु0न0:–137/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

रजू दिनांकः– 22.11.2024

मु0न0:–137/2024

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना (आर.ए.एस)

उनवान

राजूलाल पुत्र परसादी लाल जाति गूर्जर निवासी कंजोली तहसील बालघाट जिला गंगापुर सिटी।

(वादी)

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र परसादी लाल गूर्जर निवासी कंजोली तहसील बालघाट जिला गंगापुर सिटी।
2. तहसीलदार टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा बावत घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट वादी

श्री रामअवतार शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी न0 1

निर्णय

दिनांकः–27.01.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कंजोली की आराजी ख0न0 1736/0.03, 1737/0.02, 1738/0.14, 1759/0.16, 1760/0.04, 1761/0.09, 1762/0.05, 1764/0.15, 1765/0.20, 1766/0.08, 1767/0.05, 1768/0.04, 1769/0.04, 1770/0.05, 1839/0.27, 1840/0.22, 2142/0.23, 2143/0.19, 654/0.12 कुल किता 19 कुल रकवा 2.17 है0 वर्तमान मे प्रतिवादी न0 1 के नाम खातेदारी मे दर्ज है। ख0न0 2487/0.29, 2489/0.11, 2490/0.12, 2491/0.20, 2501/0.14, 2502/0.07, 2503/0.07, 2504/0.22, 2505/0.25, 2506/0.07, 2507/0.07, 2508/0.11, 2522/0.22, 2503/0.27 कुल किता 14 कुल रकवा 2.21 है0 वर्तमान मे प्रतिवादी न0 1 बहिस्सा 1/9 खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 645/0.08, 646/0.04, 649/0.03, 650/0.04 कुल किता 4 कुल रकवा 0.19 है0 वर्तमान मे प्रतिवादी न0 1 बहिस्सा 1/2 खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है।

वर्णित आराजीयात सेटलमेन्ट कर्मचारियो ने दौराने सेटलमेन्ट साबिक ख0न0 475 रकवा 15 बिस्वा, 1221 रकवा 3 बीधा 3 बिस्वा, ख0न0 1222 रकवा 1 बीधा 7 बिस्वा, ख0न0 1228 रकवा 1 बीधा 15 बिस्वा, ख0न0 1332 रकवा 1 बीधा 13 बिस्वा, ख0न0 474/2 रकवा 10 बिस्वा, 1542/1, 1542/2, 1543, [illegible] 1556/1, 1556/2, 1557/1, 1557/2, 1559/2 रकवा 8 बीधा 15 बिस्वा [illegible] अंकित किये है।

यह है कि वादी व प्रतिवादी [illegible] संतान है जिनका [illegible] निम्न प्रकार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:09:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Scanned with OKEN Scanner

परसादी पुत्र हरिनारायण

राजू मांगी

उक्त वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी न0 1 को अपने पिता परसादी से मिली है तथा परसादी की विरासत वादी एवं प्रतिवादी न0 1 के नाम खुलनी चाहिये थी लेकिन प्रतिवादी न0 1 बडा होने के कारण उसके नाम खुल गयी थी जबकि वर्णित आराजी मे वादी व प्रतिवादी न0 1 हिस्सा 1/2—1/2 पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। तथा मौके पर कोई विवाद नही है।

बाका दिनांक 25.09.2024 को वादी अपने हिस्से की आराजी मे फसल की देखभाल कर रहा था कि प्रतिवादी न0 1 अपने साथ कुछ व्यक्तियो को लेकर आये तथा आराजी को दिखाने लगे तब वादी द्वारा पूछने पर कहने लगे हम हमारे हिस्से की आराजी को बेचान कर रहे है तथा आराजी को दिखा रहा हूँ इस पर वादी द्वारा यह कहने पर कि हम अपने—अपने हिस्सेनुसार काबिज हे लेकिन मेरा नाम खातेदारी मे नही है इसलिये तहसील मे चलकर मेरे हिस्से की खातेदारी मेरे नाम करा दो, लेकिन प्रतिवादी न0 1 नाराज हो गया तथा कहने लगा कि मे कही नही जाउगा तथा नाही खातेदारी तेरे नाम कराउगा व आराजी को किसी लट्ठ वाले व्यक्ति को बेचान करके रहूँगा इस प्रकार प्रतिवादी न0 1 अपनी इस कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तो वादी को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाई जाकर इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि ग्राम कंजाली की आराजी ख0न0 1736/0.03, 1737/0.02, 1738/0.14, 1759/0.16, 1760/0.04, 1761/0.09, 1762/0.05, 1764/0.15, 1765/0.20, 1766/0.08, 1767/0.05, 1768/0.04, 1769/0.04, 1770/0.05, 1839/0.27, 1840/0.22, 2142/0.23, 2143/0.19, 654/0.12 कुल किता 19 कुल रकवा 2.17 है0 मे प्रतिवादी न0 1 का सम्पूर्ण हिस्सा हजफ कर वादी बहिस्सा 1/2 प्रतिवादी न0 1 बहिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार इसी प्रकार ख0न0 2487/0.29, 2489/0.11, 2490/0.12, 2491/0.20, 2501/0.14, 2502/0.07, 2503/0.07, 2504/0.22, 2505/0.25, 2506/0.07, 2507/0.07, 2508/0.11, 2522/0.22, 2503/0.27 कुल किता 14 कुल रकवा 2.21 है0 मे प्रतिवादी न0 1 बहिस्सा 1/9 हजफ कर वादी बहिस्सा 1/18 प्रतिवादी न0 1 बहिस्सा 1/18 का खातेदार काश्तकार इसी प्रकार ख0न0 645/0.08, 646/0.04, 649/0.03, 650/0.04 कुल किता 4 कुल रकवा 0.19 है0 वर्तमान मे प्रतिवादी न0 1 बहिस्सा 1/2 हजफ कर वादी बहिस्सा 1/4 प्रतिवादी न0 1 बहिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी न0 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी के हिस्से मे मजाहमत मदाखलत नही करे, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 2 तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, प्रतिवा[illegible] की और से श्री रामअवतार शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित दर्ज करवाकर, वादी व [illegible] ने जरिये वकालतन उपस्थित होकर राजीनाम पेश किया जि[illegible] वकील ने प्रमाणित किये जाने के उपरान्त राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:09:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Scanned with OKEN Scanner

उभयपक्ष वकील की वादपत्र पर बहस सुनी गई। उभयपक्ष वकील ने अपनी बहस मे कथन किया कि दिनांक 23.12.2024 को प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर दावा डिक्री कर दिया जावे।

वादीगण वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया पत्रावली मे शामिल ग्राम कंजोली की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता न0 306 मे कुल किता 19 रकवा 2.17 है0 मे प्रतिवादी न0 1 मांगी पुत्र परसादी हिस्सा पूर्ण का, खाता न0 177 मे कुल किता 14 कुल रकवा 2.21 है0 मे प्रतिवादी न0 1 मांगी पुत्र परसादी हिस्सा 1/9 का, खाता न0 502 मे कुल किता 4 कुल रकवा 0.19 है0 मे प्रतिवादी न0 1 मांगी पुत्र परसादी हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल साबिक खसरा नम्बरान की जमाबन्दीयो मे प्रतिवादी न0 1 मांगी पुत्र परसादी मुताबिक जमाबन्दीयो मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। एवं उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे मे कथन किया गया है। कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात जमाबन्दीस सम्वत 2075–78 के खाता न0 306, 19, 502 मे प्रतिवादी न0 1 के हिस्से मे 1/2 हिस्से मे वादी राजूलाल को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जावे। उभयपक्षकारान की पहचान उभयपक्ष वकील ने की तथा आदेशिका पर मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने की सहमति दर्ज कराई। उपरोक्त विवेचन व पत्रावली मे शामिल राजीनामे अनुसार वादी का दावा बावत घोषणा खातेदार एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ग्रम कंजोली की आराजी ख0न0 1736/0.03, 1737/0.02, 1738/0.14, 1759/0.16, 1760/0.04, 1761/0.09, 1762/0.05, 1764/0.15, 1765/0.20, 1766/0.08, 1767/0.05, 1768/0.04, 1769/0.04, 1770/0.05, 1839/0.27, 1840/0.22, 2142/0.23, 2143/0.19, 654/0.12 कुल किता 19 कुल रकवा 2.17 है0 मे प्रतिवादी न0 1 का सम्पूर्ण हिस्सा हजफ कर वादी बहिस्सा 1/2 प्रतिवादी न0 1 बहिस्सा 1/2 का, ख0न0 2487/0.29, 2489/0.11, 2490/0.12, 2491/0.20, 2501/0.14, 2502/0.07, 2503/0.07, 2504/0.22, 2505/0.25, 2506/0.07, 2507/0.07, 2508/0.11, 2522/0.22, 2503/0.27 कुल किता 14 कुल रकवा 2.21 है0 मे प्रतिवादी न0 1 बहिस्सा 1/9 हजफ कर वादी बहिस्सा 1/18 प्रतिवादी न0 1 बहिस्सा 1/18 का, ख0न0 645/0.08, 646/0.04, 649/0.03, 650/0.04 कुल किता 4 कुल रकवा 0.19 है0 वर्तमान मे प्रतिवादी न0 1 बहिस्सा 1/2 हजफ कर वादी बहिस्सा 1/4 प्रतिवादी न0 1 बहिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा उक्त नम्बरान मे अन्य सहखातेदार व उनका हिस्सा यथावत पूर्वानुसार रहेगा, उभयपक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे एक दूसरे के हिस्से मे मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:00:51 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Scanned with OKEN Scanner